




विश्वविद्यालय के पत्रांक: Main Exam-2026/10186 की दिनांक 17.03.2026 के द्वारा संस्थागत एवं व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा-2026 एवं बैक पेपर परीक्षा-2025 हेतु बाह्य वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक (External Sr. Supdt.) की सूची निर्गत की गई थी। नियुक्त बाह्य वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक (External Sr. Supdt.) द्वारा कार्य किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी है, नियुक्त किये गये बाह्य वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक के स्थान पर निम्नानुसार परीक्षा केन्द्रों पर परिवर्तित बाह्य वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक की नियुक्त की जाती है :-

Sl. No.	Name of the Examination Centers	Coll. Code	Old Name of External Sr. Supdt.	New Name of External Sr. Supdt.
1	Elite College of Professional Studies, Dadri (Meerut)	641	Dr. Rajeev Kumar, CSSS Machara, Meerut Mob. 9411823768	Dr. Sanjeev Kumar ,Asso. Prof. D.A.V. (PG) College, Bulandshahr. Mob. 9410823271

उपर्युक्त समस्त शिक्षक अपने-अपने परीक्षा केन्द्र पर बाह्य वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक (External Sr. Supdt.) की भूमिका निभाएंगे तथा परीक्षा के शुचिता पूर्ण संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।


परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक (Additional Sr. Supdt.) की भूमिका निभाएंगे।

उपर्युक्त समस्त शिक्षक अपने महाविद्यालय से कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही अपने-अपने परीक्षा केन्द्रों पर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।


उप कुलसचिव (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बन्धित महाविद्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त बाह्य वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षकों (External Sr. Supdt.) को संस्थागत एवं व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा-2026 परीक्षाओं की समाप्ति तक तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, निदेशक (अकादमिक) को निदेशक (अकादमिक) जी के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के संज्ञानार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के संज्ञानार्थ।
7. उप कुलसचिव (गोपनीय/लेखा)।
8. समन्वयक केन्द्रीय/विशेष उड़ाका दल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समन्वयक सी०सी०टी०वी० कन्ट्रोल रूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ।
11. विश्वविद्यालय अधिकृत एजेन्सी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।


उप कुलसचिव (परीक्षा)